और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने दिनांक 15.8.94 को शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आईयूपीईपी) के नाम से एक एकीकृत स्कीम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मिलाकर शताब्दी के अंत तक लक्षित क्षेत्रों में शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए लक्षित कार्यक्रम के सहभागी क्रियान्वयन की परिकल्पना के माध्यम से उपयुक्त कार्यनीति के साथ एक समेकित ढंग से शहरी गरीबी के मूल कारणों पर प्रहार करना है। नये कार्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैं: (क) सामाजिक क्षेत्रक लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि, (ख) सामुदायिक प्राधिकार (ग) सतत् समर्थन प्रणाली के माध्यम से कवरेज नये कार्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैं: (घ) रोजगार सृजन तथा कौशल उन्नयन, (ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुधार और पर्यावरणीय सुधार।

कार्यक्रम के प्रमुख संघटक हैं:

(क) सूक्ष्म उद्यमों और कौशल विकास की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार, (ख) बुनियादी भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार, (ग) आश्रय उन्नयन (घ) सामुदायिक संगठन और प्राधिकार (ङ) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) को सुदृढ़ीकरण, (च) राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि (एनयूपीईएफ) की स्थापना, (छ) शहरी डाटाबेस के क्रियाकलापों और विकास का प्रशिक्षण (ज) गैर सरकारी संगठनों का सम्मिलन।

यह कार्यक्रम 50000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है के लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के 72 जिला नगरों में किया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अधीन व्यय की गई धनराशि

272. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और उससे निकले परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को लागू करने हेतु आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने इस धनराशि को उक्त योजना पर व्यय करने की बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए व्यय किया है और उसका ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) देश में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) है।

8वीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार कुल आवंटन और व्यय अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 9]**

नोडल मंत्रालय (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) द्वारा राज्यों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को जारी की गई निधि का दूसरी स्कीम के लिए विचलन न किया जाए। यद्यपि, किसी स्कीम के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निधि के विचलन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे मंत्रालय द्वारा आवश्यक पूछताछ और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भिजवा दिए जाते हैं।

Annual Rate of Economic Growth

273. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the country's annual rate of economic growth from 1991-92 to 1996-97;

(b) the rates of growth in agriculture, industry and services, respectively, during the same period; and

(c) whether these rates of growth exceed the rates of growth achieved in the 1980's?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) A statement is annexed *(See below)*.

(c) The growth rates in 1990's were significantly lower in agriculture sector and marginally lower in industry sector as compared to corresponding rates in 1980's. Services sector grew somewhat faster in 1990's than in 1980's. On the whole, the GDP in 1990's grew at a slower rate than in 1980's. Figures are given in annexed statement.

Statement

Growth rates of gross domestic product (GDP) at constant (1980-81) prices during the period 1991-92 to 1996-97

(Per Cent)

Sector	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96[3]	1996-97[4]	Average 1991—97	Average 1980—90
Agriculture[1]	−2.3	6.1	3.6	4.6	−0.1	5.7	2.9	4.5
Industry[2]	−1.3	4.2	6.8	9.4	11.6	7.0	6.3	6.9
Services	4.9	5.5	7.3	7.5	8.8	7.4	6.9	6.4
Total GDP	**0.8**	**5.3**	**6.0**	**7.2**	**7.1**	**6.8**	**5.5**	**5.9**

Note: 1. Agriculture including livestock, forestry and logging and fishing.
2. Industry includes mining, manufacturing, electricity and construction.
3. Quick Estimates.
4. Revised Estimates (First update of advance estimate).

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य

274. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले दो वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लागू किए जाने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के लागू किए जाने की देख-रेख हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने हेतु राज्य-वार क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) देश में कार्यान्वित किये जा रहे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के बड़े केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)।

पिछले दो वर्षों आर्थात् 1995-96 और 1996-97 में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के संदर्भ में राज्यवार वास्तविक निष्पादन को अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 10]

सरकार इन बड़े ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) के शासी निकाय द्वारा जिला स्तर पर करती है। इन कार्यक्रमों की मानिटरिंग "की इंडीकेटर्स" पर राज्यों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों और केन्द्र, राज्य एवं कार्यान्वयक एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों के गहन तंत्र के माध्यम से भी की जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की पुनरीक्षा के लिए ग्रामीण विकास के राज्य सचिवालय इंचार्ज के साथ समय-समय पर पुनरीक्षा बैठकें और डी आर डी ए के परियोजना निदेशकों के साथ सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों में मानिटरिंग एवं सतर्कता समितियां भी गठित की गई हैं जिनमें इन स्कीमों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिये लोगों के चुने गये प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा आई आर डी पी एवं जे आर वाई जैसे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सम्पूर्ण प्रभाव का उनके विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में मूल्यांकन करने के